उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-1

संख्या- 4/2016/873/छत्तीस-1-2016-549(एस.टी.)/84

लखनऊ: दिनाकं : 14 सितम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रकीर्ण</u>

शासकीय अधिसूचना संख्या-2492/छत्तीस-1-2000-549 (एस.टी.)/84, दिनांक 15 मई, 2000 द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3 (ख) के अन्तर्गत प्रदेश के अभियंत्रण/इंजीनियरिंग उद्योग में पचास या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली इकाईयों में वेतन पुनरीक्षित किया गया था। अधिसूचना के विरूद्व कतिपय सेवायोजकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विभिन्न याचिकाएं योजित करते हुए स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया था। याचिका संख्या-33204/2000, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ सम्बद्व 28 अन्य याचिकाओं को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए आदेश दिनांक 09-07-2007 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 15-05-2000 के विरूद्व योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/स्थगनादेश को समाप्त करते हुए शासकीय अधिसूचना दिनांक 15-05-2000 में बल पाते हुए अधिसूचना को वैध ठहराया गया।

याचिका संख्या: 33204/2000 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-07-2007 के विरूद्व सेवायोजक पक्षकार द्वारा विशेष अपील संख्या-1170/2007 इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन व अन्य, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24-09-2007 को खारिज कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में स्पेशल अपील खारिज होने के उपरान्त सेवायोजक पक्ष द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1147/2008, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 112/2008, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-4285/2008, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 1855/2008 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-21326/2007 दायर हुई। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10-01-2011 द्वारा विशेष [redacted]चिकाएं अस्वीकार कर दी। चूँकि शासकीय अधिसूचना दिनांक 15-05-2000 05 वर्षों के [redacted]त्त थी और उपरोक्त याचिकाओं के कारण वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जा सका था इसलिए शासकीय आदेश संख्या-01/36-1-2007-549 (एस.टी.)/84 टी.सी., दिनांक 20-02-2007 एवं संख्या: 1939/36-1-11, दिनांक 17-11-2011 द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-05-2000 की समयावधि विस्तारित की गयी जो कि माह मार्च,2011 तक प्रभावी रही;

क्रमश......02/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

और चूँकि, पूर्व अधिसूचना को निर्गत हुए लगभग 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी थी, विगत कई वर्षो के दौरान निर्वाह-व्यय में वृद्वि के फलस्वरूप श्रमिकों की क्रयशक्ति में हो रहे ह्रास के कारण श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त था तथा कतिपय श्रमिक संगठनों एवं फेडरेशनों द्वारा आन्दोलन/हड़ताल आदि का आह्वान भी किया गया जिसका निराकरण किया जाना औद्योगिक शांति तथा नियोजन को बनाए रखने के हित में था। अतः इस परिप्रेक्ष्य में शासन की अधिसूचना संख्या-531/36-1-2012, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर की अध्यक्षता में उक्त उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण व अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें कर्मकारों की माँगों एवं समस्याओं को देखने और अपनी संस्तुतियाँ राज्य सरकार को देने के लिए कर्मकारों और पचास या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले राज्य के अभियंत्रण उद्योगों के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि समाविष्ट रहे;

और चूँकि उक्त समिति में विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया, परन्तु वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य कोई मतैक्य नहीं हो सका। उभय पक्षों के कथनों के आधार पर समिति की अध्यक्ष एवं श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति एवं अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी जिसे सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार कर लिया गया;

और चूँकि राज्य सरकार की राय में लोक सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण और सेवायोजन को बनाए रखने, सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक एवं समीचान है;

अतएव अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या-28, सन् 1947) की धारा-3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं, और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेश देते हैं कि इस आदेश की सूचना गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

:: आदेश ::

1- यह आदेश उन समस्त अभियंत्रण इकाईयों/कारखानों पर लागू होगा, जिनमें 50 या अधिक कर्मकार नियोजित हो रहे हों और परिवर्तित कर, गढ़कर, प्रसंस्करण कर, ढाल कर और जोड़कर लौह और अलौह धातुओं के उत्पादन और/या आकार देने के कार्य में लगे हों।

2- जहाँ किसी स्थापन की एक से अधिक इकाइयाँ राज्य में कार्य कर रहीं हों, वहाँ इस

क्रमश.....03/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आदेश के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ ऐसी इकाइयों के कर्मकारों की कुल संख्या पर, न कि केवल किसी विशेष इकाई के कर्मकारों की संख्या पर विचार किया जायेगा।

3- गैर अभियंत्रण स्थापनों से सम्बद्ध कर्मशालाऍं जो मुख्य रूप से ऐसे गैर-अभियंत्रण स्थापनों की सेवा और अनुरक्षण के लिए रखी गयी हों, इस आदेश के अन्तर्गत नहीं आयेंगी। यदि ऐसी कर्मशालाऍं बिक्री के लिए अभियंत्रण उत्पादों के पर्याप्त रूप से व्ययवर्तन में और उनके निर्माण करने में लगी हों तो वे इस आदेश की परिधि में होंगी।

4- अलौह धातुओं के प्राथमिक उत्पादक जैसे धातु पिण्ड (इस्पात को छोड़कर) के उत्पादक इस आदेश के अन्तर्गत आयेंगे।

5- ऐसे कलई स्थापन जो अन्य अभियंत्रण क्रिया-कलाप के साथ-साथ कलई का कार्य करते हैं, इस आदेश की परिधि के अन्तर्गत आयेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहॉं कलई का कार्य किसी अभियंत्रण क्रिया-कलाप के बिना संसाधनिक प्रक्रिया के रूप में किया जाए, वहॉं ऐसे स्थापन इस आदेश के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

6- ऑटोमोबाइल्स-रिपेयरिंग उद्योग इस आदेश के अन्तर्गत आयेंगे।

7- अभियंत्रण और गैर अभियंत्रण कार्य करने वाले मिश्रित प्रकार के स्थापनों में जहॉं, अभियंत्रण कार्य में लगे हुए कर्मकारों की, जिसमें उपकरण कक्ष, अनुरक्षण कार्य आदि में कार्य करने वाले कर्मकार भी सम्मिलित हैं, संख्या किसी इकाई में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का 40% या इससे अधिक हो तो ऐसे स्थापना भी इस आदेश के अन्तर्गत आयेंगे।

8- सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस आदेश के अन्तर्गत नहीं आयेंगे, क्योंकि इसके लिये राज्य सरकार तथा ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय-समय पर अलग से व्यवस्था की जाती है।

9- ठेकेदारों द्वारा या उनके माध्यम से नियोजित कर्मचारी भी इस आदेश के अन्तर्गत आयेंगे।

10- यह आदेश उन समस्त कर्मकारों पर लागू होगा जो उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा में आते हैं।

11- इस आदेश के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ 50 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों को दो समूहों में विभाजित किया जायेगा और कर्मकारों का वर्गीकरण अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणियों के आधार पर किया जायेगा और दिनांक 01-01-2014 से विभिन्न समूहों और श्रेणियों के कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता

क्रमश.....04/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 के औसत छमाही 239 अंकों पर पुनरीक्षित मूल मजदूरी निम्नलिखित होगी।

(कर्मकारों के लिए मासिक पुनरीक्षित मूल मजदूरी (रूपये में)

क्रम सं0	समूह	कर्मकारों की मासिक पुनरीक्षित मजदूरी		
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल
1-	50 से 500 तक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापन	7440	8170	9070
2-	500 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापन	7800	8580	9360

12- यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थापन में ऊपर सूची में दी गयी समस्त श्रेणियाँ हों और उनकी संख्या स्थापन की आवश्यकता पर निर्भर हो सकती है।

13- पुनरीक्षित मूल मजदूरी के अन्तर्गत 239 बिन्दु तक परिवर्तनीय मँहगाई भत्ता सम्मिलित है।

14- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 239 बिन्दु के ऊपर मँहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी कर दिया जायेगा और मँहगाई भत्ता का समायोजन निम्नलिखित के आधार पर वर्ष में दो बार किया जायेगा :-

(1) पहली फरवरी से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर मास के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर।

(2) पहली अगस्त से उसी वर्ष के जनवरी से जून मास के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर।

दृष्टान्त :

मान लीजिए जनवरी 2014 से जून 2014 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) का कल्पित औसत अंक 241 है, तो अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ परिवर्तनीय मँहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

$$\frac{(241-239)\times 7440}{239} = \frac{2\times 7440}{239} = \frac{14880}{239} = 62.25$$

अर्थात रू0 62.00 बढेगा।

यदि किसी भी श्रेणी का कर्मकार दैनिक मजदूरी पर नियोजित हो तो उसकी मजदूरी सम्बन्धित समूह के लिए नियत मूल मजदूरी तथा मँहगाई भत्ता का 1/26 के बराबर होगी।

क्रमश.....05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- (1) वार्षिक वेतन वृद्धि-

विभिन्न श्रेणी के कर्मकारों को निम्नवत् वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी-

क- अकुशल कर्मकार रू0 40/-

ख्- अर्द्धकुशल कर्मकार रू0 60/-

ग- कुशल कर्मकार रू0 100/-

उपर्युक्त वार्षिक वेतन वृद्धि शासनादेश लागू होने की तिथि से एक वर्ष उपरान्त से देय होगी।

(2) मूल मजदूरी की पुनरीक्षित दरें सभी श्रेणियों के कर्मकारों के लिए एक समान रूप से की गयी है। उक्त उद्योग में कार्यरत कर्मकारों को उनके द्वारा की गयी सेवा अवधि के दृष्टिगत फिटमेन्ट एवं मजदूरी निर्धारण के समय मूल मजदूरी में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियाँ निम्नवत् देय होंगी:-

□□□□ß □□□□[□(Ǒ□□□Û□)

क- 01 वर्ष से 03 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मकारों को मूल मजदूरी के अतिरिक्त इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी।

ख- 03 वर्ष से 06 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से मूल मजदूरी के अतिरिक्त दो अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी।

ग- 06 वर्ष से 10 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से मूल मजदूरी के अतिरिक्त तीन अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेंगी।

घ- 10 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से मूल मजदूरी के अतिरिक्त चार अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेंगीं।

(3) शासकीय अधिसूचना संख्या- 1097/छत्तीस-1-2014 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में यथा विहित अन्तरिम राहत का समायोजन ऐसे कर्मकारों की उस धनराशि से की जायेगी जिसे दिये जाने की गणना इस मजदूरी पुनरीक्षण के पश्चात की जायेगी।

16- जहाँ किसी स्थापन में कर्मकार, इस आदेश में विहित मजदूरी और विशेष भत्ता से अधिक मजदूरी और विशेष भत्ता पा रहे हैं वहाँ वे उन्हें पाते रहेंगे और कर्मकार इस आदेश में यथा विहित मजदूरी के ढांचे को सम्पूर्ण रूप से या उस मजदूरी को जिसे

क्रमशः.....06/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वे वर्तमान में किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन या सेवायोजकों के किसी प्रशासकीय आदेश के माध्यम से पा रहें हैं, अंगीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

17- इस आदेश के अधीन विहित मजदूरी ढांचे का वर्तमान उपार्जनों और लाभों पर जहाँ कहीं भी वे उच्चतर हों, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18- यदि इस आदेश के अधीन किसी स्थापन में सेवायोजक और कर्मकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो कोई भी पक्षकार मामले को श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को निर्दिष्ट कर सकता है, जो मामले का अन्वेषण करेंगे और उनका विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

19- यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2014 से लागू माना जायेगा तथा इस आदेश के अनुसार संदेय समस्त एरियर की धनराशि का भुगतान अधिकतम चार (04) त्रैमासिक किस्तों में किया जा सकता है। यह आदेश लागू होने की तिथि से प्रथमतः 05 वर्षो के लिए प्रवृत्त रहेगा और राज्य सरकार के पास समय-समय पर उसके प्रवर्तन के विस्तार की शक्ति होगी।

आज्ञा से

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....07

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 4/2016/873(1)/छत्तीस-1-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

3- समस्त सहायक/अपर/उप/श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

4- श्रम विभाग के समस्त अधिकारी।

5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना संख्या- 873/छत्तीस-1-16, दिनांक सितम्बर, 2016 की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट दिनांक सितम्बर, 2016 के विधायी परिशिष्ट-2 भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, सचिवालय एवं 500 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें

2- समस्त अनुभाग, श्रम विभाग।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्यवान सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।